

फार्म

अचल संपत्ति विवरणका वर्ष 2013
प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 1985 निरंक

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम..... श्रीमती उषा सोनी

2. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ शीघ्र लेखक


3. कार्यालय का नाम अति.उच्च दाब-निर्माण, वृत्, म.प्र.पा.टॉ.कं.लि. भोपाल

4. वर्तमान वेतन ₹ 24,170/- + ₹ 3,800/-

5. भविष्य निधि क्रमांक 23042609

6. कर्मचारी संख्या 90322569

उस जिले, उस संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
सी-394, सी सेक्टर, शाहपुरा, भोपाल	गृह	निरंक	25.50 लाख	श्री सी.के. सोनी (पति)	वर्ष 1989 में श्री सुनील सक्सेना से प्लॉट क्रय कर बनाया	निरंक	
ग्राम भैंरी कलां, भोपाल	निरंक	प्लॉट	3.25 लाख	स्वयं के नाम पर	वर्ष 2011 में में. लक्ष्य रियलिटी बिल्डर्स, भोपाल से क्रय किया।	निरंक	


हस्ताक्षर

नाम श्रीमती उषा सोनी

पद वरिष्ठ शीघ्र लेखक

पता सी-394 सी-सेक्टर, शाहपुरा, भोपाल

जहां लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

इसमें तत्कालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी :- मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक पदस्थ से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् वह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।